S.C. CASE LAW

01. राजेश यादव बनाम यूपी राज्य

CRIMINAL APPEAL NOS . 339-340 OF 2014

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौली , जस्टिस एम एम सुंदरशो

सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या केवल इसलिए कि एक गवाह संयोग से किसी घटना को देखता है, उसकी गवाही को टाला नहीं जा सकता है, हालांकि कभी-कभी थोड़ी और जांच की आवश्यकता हो सकती है।

एक संबंधित गवाह भी एक प्राकृतिक गवाह हो सकता है और यदि उनका सबूत स्पष्ट, ठोस है, यदि न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता से आश्वस्त है, यह विश्वसनीय साक्ष्य बन जाता है।

केवल गवाह की गैर-परीक्षा अभियोजन के मामले को खराब नहीं करेगी। आपराधिक मुकदमे में गवाह की गुणवत्ता मात्रा से अधिक होती है।

सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट जांच अधिकारी की उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर एक राय मात्र है। इस

Lawspark Institute

तरह की रिपोर्ट की सच्चाई का फैसला अदालत ही कर सकती है। केवल तथ्य यह है कि जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष पेश नहीं किया है या पर्याप्त सहयोग नहीं किया है, एक आरोपी तर्क पर बरी होने का हकदार नहीं हो सकता है

राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

CRIMINAL APPEAL NOS. 339-340 OF 2014

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश

ट्रायल कोर्ट जहां तक संभव हो पहले निजी गवाहों का परीक्षण करें और एक ही दिन मुख्य गवाही और जिरह (क्रॉस-एक्जामिनेशन) को पूरा करने का प्रयास करें

02. ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) बनाम यूनुस

CIVIL APPEAL NO.901 OF 2022

बेंच - न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा

लोक अदालत द्वारा "पारित अवार्ड" "समझौता डिक्री" नहीं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के अनुसार "लोक अदालत का कार्य किसी मामले में पक्षकारों के बीच विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करना है।

Lawspark Institute

यह न्यायिक कृत्यों का अनुपालन नहीं करता तथा यह किसी मामले में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता| वास्तव में लोक अदालत मात्र पक्षकारों के मध्य समझौते की सुविधा प्रदान करता है।

इसी मामले में -

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि , "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता।"

समझौता डिक्री क्या है :-

समझौता डिक्री न्यायालय का निर्णय नहीं होता तथा इसमें न्यायिक निर्णय की क्षमता निहित नहीं होती। यह मात्र न्यायालय द्वारा कराई गई ऐसी स्वीकृति है, जिस पर पक्षकार सहमत हुए हैं।

इस अभिनिर्धारण से दो सिद्धांत स्पष्ट हुए :-

विधि निर्माताओं का उद्देश्य मात्र इसे डिक्री के समकक्ष प्रवर्तित करने की क्षमता प्रदान करना था।

अब अवार्ड को डिक्री मानने की विधिक संकल्पना शून्य हो जाएगी।

LawSpark Institute

03. स्टेट ऑफ यूपी बनाम वीरपाल

CRIMINAL APPEAL NO. 34 OF 2022

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना अगर कोर्ट संतुष्ट है कि मृत्यु से पहले कि गई घोषणा सही और स्वैच्छिक है, तो बिना पुष्टि के ही मृत्यु कालिक घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है

04. जोगी राम बनाम सुरेश कुमार

CIVIL APPEAL NOS.1543-1544 OF 2019

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

पत्नी को दी गई "सीमित संपत्ति" हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत उसकी "पूर्ण संपत्ति" हो सकती है| यदि "सीमित संपत्ति" उसके "भरण-पोषण के लिए" लिए दी गई थी

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) का उद्देश्य यह नहीं हो सकता है कि एक हिंदू पुरुष जिसके पास स्व-अर्जित संपत्ति है, वह एक महिला को सीमित संपत्ति देने वाली वसीयत को निष्पादित करने में असमर्थ है, यदि भरण-पोषण सहित अन्य सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।"

Lawspark Institute

05. राजस्थान राज्य बनाम बनवारी लाल

SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) Diary No. 21596/2020

बेंच - कोरम: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना केवल इसलिए कि अपील पर फैसला होने तक एक लंबी अवधि बीत चुकी है, यह अनुपातहीन और अपर्याप्त सजा देने का आधार नहीं हो सकता हम शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटारे की इस तरह की प्रथा की निंदा करते है

- इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी की सजा को बिना कोई कारण बताए गलत तरीके से निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की जेल की अवधि को घटाकर (44 दिन) कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि हाई कोर्ट ने नरम रुख अपनाया हो क्योंकि ट्रायल की कार्यवाही 24 साल तक चली थी लेकिन यह कम सजा का आधार नहीं हो सकता।

- धारा 307 आईपीसी के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है, पीठ ने कहा कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और सजा को आनुपातिक रूप से लगाया जाना चाहिए और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और सजा लागू करने के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए।

Lawspark Institute

- आरोपी ने जानलेवा चोट की थी जो मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और निचली अदालत ने तीन साल की जेल की सजा देने में नरम रुख अपनाया था जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था ।

- हमारे पास विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णय सामने आए हैं और यह पाया गया है कि कई मामलों में आपराधिक अपीलों का निपटारा सरसरी तौर पर और छंटे हुए तरीकों को अपनाकर किया जाता है । कुछ मामलों में 302 आईपीसी (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग । या धारा 304 भाग ।। के आईपीसी में परिवर्तित कर दिया जाता है, बिना कोई पर्याप्त कारण बताए और केवल अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुतियाँ दर्ज की जाती हैं कि उनकी सजा को बदला जा सकता है

06. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम रवींद्र कुमार भारती

CIVIL APPEAL NO.2794 OF 2022

(Arising out of SLP (C) No.12061/2021)

बेंच - जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

आदेश 41 नियम 33 सीपीसी - अपीलीय न्यायालयों को दी गई असाधारण शक्ति "दुर्लभ क्षेत्राधिकार" आदेश 41 नियम 33

Lawspark Institute

निस्संदेह एक असाधारण शक्ति के साथ अपीलीय अदालत को तैयार करता है, जो एक दुर्लभ अधिकार क्षेत्र है।

यह किसी मामले के विशेष तथ्यों में न्याय तक पहुंचना है। यह पूरे बोर्ड में सभी अपीलों में लागू होने वाला सामान्य नियम नहीं

- सीपीसी का आदेश 41 नियम 33 इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपील केवल डिक्री के एक हिस्से के संबंध में है या अपील केवल कुछ पक्षकारों द्वारा दायर की गई है, किसी मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए अपील की अदालत की शक्ति से संबंधित है।

- सामान्य शब्दों में अपीलीय न्यायालय अपील के दायरे की परवाह किए बिना एक आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

07. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर आर मेट्री

CRIMINAL APPEAL NOS. 537-538 OF 2018

बेंच - न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई

न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति साक्ष्य का कमजोर टुकड़ा जब तक इस तरह के एक स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक, भरोसेमंद और विश्वसनीय

Lawspark Institute

नहीं पाया जाता है, तब तक केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि, बिना पुष्टि के, उचित नहीं होगी

किसी व्यक्ति को न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न

08. यूपी राज्य बनाम सुभाष @ पप्पू

CRIMINAL APPEAL NO. 436 OF 2022

बेंच - न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना

केवल भाषा या कथन या आरोप के रूप में "दोष" दोषसिद्धि को अस्थिर नहीं करेगा, बशर्ते कि आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो

एक प्रसिद्ध सिद्धांत को दोहराया गया यदि धारा की सामग्री स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों में निहित है, तो इस तथ्य के बावजूद कि धारा का चार्जशीट में जिक्र नहीं दोषसिद्धि को अस्थिर नहीं करेगा।

यदि धारा के अवयव स्पष्ट या आरोप में निहित हैं तो उसके संबंध में दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है।

● यह सिद्धांत सीआरपीसी की तीन धाराओं: धारा 215, 221(2), 464 में निर्धारित किया गया है।

Lawspark Institute

• सीआरपीसी की धारा 221(2) में कहा गया है कि यदि आरोपी पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है, और रिकॉर्ड में रखे गए सबूतों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वह किसी अन्य अपराध का दोषी था, तो उसे इस तरह के अंतिम उल्लिखित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यद्यपि उसके लिए उस पर विशेष रुप् से आरोप नहीं लगाया गया हो

• सीआरपीसी की धारा 215 में प्रावधान है कि अपराध या विवरण जो आरोप में बताए जाने की आवश्यकता है, को बताते हुए किसी भी त्रुटि या चूक को कार्यवाही के किसी भी चरण में सामग्री के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि आरोपी को इस तरह से गुमराह किया गया था। त्रुटि या चूक से न्याय की विफलता हुई है।

• इसी तरह, सीआरपीसी की धारा 464 भी सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को केवल इस आधार पर अमान्य घोषित न किया जाएगा कि कोई आरोप तय नहीं किया गया था, या आरोप तय करने में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता थी, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात न हो जाए।

Lawspark Institute

• आरोप तय करने में चूक की स्थिति में, अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय आदेश दे सकता है कि मुकदमा आरोप तय करने के चरण से शुरू होगा, और आरोप तय करने में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में, न्यायालय नए आरोप पर नए परीक्षण का आदेश दे सकता है

09. पट्टाली मक्कल काची बनाम ए मयिलरुम्परुमल

Civil Appeal No. 2600 of 2022

(@ SLP (Civil) No.19574 of 2021)

बेंच - जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई

जाति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन आरक्षण देने के लिए पिछड़ेपन का फैसला करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।

🔴 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियारों को दिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है। वन्नियारों को दिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है। यह आरक्षण

Lawspark Institute

संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत समानता के अधिकार; धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव; सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

10. मफत लाल बनाम राजस्थान राज्य

केस नंबर: CRIMINAL APPEAL NO(s).592 OF 2022

बेंच - न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

भाग कर शादी करने के मामलों में कब धारा 366 IPC के तहत मामला बनेगा ?

आईपीसी की धारा 366 का अपराध तभी आकर्षित होगा, जब किसी महिला को जबरन शादी के लिए उकसाया/अपहरण किया गया हो।

एक बार अपहरणकर्ता के यह कहने के बाद कि वह अपहरणकर्ता से प्यार करती थी और उसने परेशान परिस्थितियों के कारण अपना घर छोड़ दिया, ऐसा अपराध नहीं किया जाएगा|

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी भी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है और उससे शादी की जाती है तो यह आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध होगा।

Lawspark Institute

आईपीसी की धारा 366 केवल तभी लागू होगी जब शादी ज़बरदस्ती, अपहरण द्वारा या महिला को उकसाकर की जाए

Lawspark Institute